निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (शo)

(सं0 पटना 644) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

28 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–22/2010/962—श्री राज कुमार प्रसाद सिन्हा, आई0 डी0–4047, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल संख्या–5, रामगढ़, जिला–लखीसराय से निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6925 दिनांक 11.09.2010 द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत लखीसराय जिला में अष्टघट्टी पोखर के सौन्दर्यीकरण योजना से संबंधित तकनीकी परीक्षक कोषांग के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए दोषी पाये जाने के उपरान्त विभागीय पत्रांक–06 दिनांक 04.01.2011 द्वारा स्पष्टीकरण किया गयाः–

(i) बिना विभागीय अनुमति के राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत लखीसराय जिला के मत्स्य प्रक्षेत्र में अष्टघट्टी पोखर की खुदाई, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण योजना का कार्य कराना।

(ii) विषयांकित पोखरा के पश्चिमी भिंडा पर 500 (पॉच सौ) फीट की लम्बाई में ईंटकरण दो लेयर में किया गया था। ईंटकरण में प्रायः सही गुणवत्ता का ईंट का प्रयोग नहीं किया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि उक्त घटिया ईंट की सुधार हेतु 5% (पॉच प्रतिशत) की दर से भुगतान में कटौती कर ली गयी है। उक्त ईंट सोलिंग कार्य में सुधार किये जाने का कोई साक्ष्य जॉच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्थलीय जॉच में ईंट सोलिंग कार्य आंशिक रूप से किया गया एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया। फलस्वरूप घटिया ब्रीक सोलिंग कार्य के लिए मापीपुस्त में मापी अंकित करना, विपत्र पारित करना एवं उक्त गलत कार्य के विरूद्ध भुगतान की गयी राशि की वसूली नहीं करना।

(iii) F_2 एकरारनामा के शर्त्तों के आलोक में निर्धारित समय सीमा के अन्दर विषयांकित अष्टघट्टी पोखर योजना का कार्य पूरा कराने हेतु संवेदक के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई नहीं करना। संवेदक द्वारा कार्य को अबतक नहीं कराया गया है। कार्य मानक एवं प्राक्कलन के अनुरूप सही नहीं पाया गया।

2. उपर्युक्त विभागीय पत्रांक 06 दिनांक 04.01.2011 द्वारा किये गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री राज कुमार प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल संख्या–5, रामगढ़ के पत्रांक 45 दिनांक 03.05.2011 द्वारा विभाग में स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा आरोपवार निम्नांकित तथ्यों को प्रस्तुत किया गयाः–

(i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति निविदा निष्पादन एवं एकरारनामा किया गया। उनके स्तर से निर्गत कार्यादेश के आलोक में संवेदक के माध्यम से एवं कनीय अभियंता की सहायता से सहायक

अभियंता से अपेक्षित दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए कार्य सम्पन्न कराया गया। बिना विभागीय अनुमति के राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत आलोच्य कार्य कराने से संबंधित आरोप इनके विरूद्ध प्रासंगिक नहीं है। प्रसंगवश तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी है।

(ii) संवेदक द्वारा पश्चिमी भिंडा पर विशिष्टि के अनुरूप ईंट सोलिंग कार्य किये जाने के फलस्वरूप कनीय अभियंता द्वारा दर्ज तृतीय एवं चालू विपत्र को समुचित जॉच कर प्रमंडल में समर्पित किया गया। दक्षिणी भिंडा पर विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण न तो इसे कनीय अभियंता द्वारा मापीपुस्त में अंकित किया गया न ही इनके स्तर से भुगतान की अनुशंसा की गयी।

जहॉ तक पॉच प्रतिशत कटौती का प्रश्न है सुधार हेतु पॉच प्रतिशत की कटौती इनके द्वारा नहीं की गयी थी। बावजूद इसके कार्यपालक अभियंता के आदेशानुसार पश्चिमी भिंडा पर किये गये ईंट सोलिंग में भी अपेक्षित सुधार करा दिया गया जो पूर्णतः विशिष्टि के अनुरूप था।

इनके द्वारा घटिया ईंट सोलिंग की मापी अथवा जॉच नहीं की गयी, न ही विपत्र पारित किया गया और गलत कार्य के विरूद्ध भुगतान की अनुशंसा भी नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में घटिया ईंट सोलिंग कार्य के लिए मापीपुस्त में मापी अंकित करने, विपत्र पारित करने एवं गलत कार्य के विरूद्ध भुगतान की गयी राशि की वसूली नहीं करने का आरोप अप्रासंगिक है। जॉच प्रतिवेदन की कंडिका 4.0.0 से स्पष्ट है कि पश्चिमी भिंडा पर उक्त सोलिंग के उपर कंक्रीट पथ का निर्माण किया जा चुका है जो इस बात का परिचायक है कि सोलिंग कार्य पूर्णतः विशिष्टि के अनुरूप है।

(iii) F_2 एकरारनामा के क्लाउज–6 के अनुसार कार्यपालक अभियंता इंजीनियर इनचार्ज के रूप में प्राधिकृत है। जॉच प्रतिवेदन के कंडिका– 5.0.0 के उप कंडिका–3 में ''कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अनेकों बार आदेश एवं स्मार पत्र देने के बाद भी संवेदक द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया है'' का उल्लेख है। उपर्युक्त कंडिका के उप कंडिका–2 में ''संवेदक से ईंट सोलिंग कार्य के विरूद्ध भुगतान की गयी राशि वसूली के संबंध में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है'' का उल्लेख है। उपर्युक्त परिपेक्ष्य में आरोप संख्या–3 लेस मात्र भी प्रमाणित नहीं होता है।

3. श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उठाये गये उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गयेः–

(i) निविदा निष्पादन, कार्यावंटन एवं कार्यादेश में सहायक अभियंता की कोई संलिप्तता नहीं होती है। कार्यादेश के बाद सहायक अभियंता द्वारा एकरारनामा शर्त्तों एवं प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुसार कार्य सम्पादित कराया जाता है। तकनीकी परीक्षक कोषांग के आलोच्य कार्य की जॉच में विभागीय अनुमति नहीं प्राप्त करने के मामले में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गयी है। श्री सिन्हा द्वारा स्वीकार किया गया है कि कार्यादेश के बाद दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्य कराया गया है। संदर्भित कार्य के निविदा कागजात की बिक्री एवं प्राप्ति विभाग से किये जाने के परिप्रेक्ष्य में माना जा सकता है कि मामले की जानकारी विभाग को थी। उक्त तथ्यों के आलोक में श्री सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता का आरोप संख्या–1 के मामले में कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य है।

(ii) अष्टघट्टी पोखर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का तृतीय एवं चालू विपत्र के ईंट सोलिंग कार्य मद में Defect Rectification के लिए पॉच प्रतिशत (कुल रू0 4668/–) की कटौती कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा द्वारा की गयी जिससे विदित होता है कि श्री सिन्हा द्वारा न्यून विशिष्टि का ईंट सोलिंग कार्य की प्रविष्टि की जॉच कर प्रमंडल में भुगतान हेतु उपस्थापित किया गया। श्री सिन्हा द्वारा भी ईंट सोलिंग कार्य में अपेक्षित सुधार करने का बयान अंकित किया गया है। साथ ही कराये गये सुधार के संदर्भ में उच्चाधिकारी को सूचना देने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में अंकित तथ्य ''कार्यपालक अभियंता द्वारा सोलिंग कार्य में सुधार किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका'' की पुष्टि होती है। साथ ही पश्चिमी भिंडा के सोलिंग पर कंक्रीट पथ बन जाने के कारण वर्तमान में सुधार कार्य की जॉच संभव नहीं है।

जॉच पदाधिकारी द्वारा दक्षिणी भिंडा पर झामा ब्रीक से आंशिक किया हुआ सोलिंग कार्य क्षतिग्रस्त स्थिति में पाया गया। अष्टघट्टी पोखर के भिंडा पर 1460 फीट सोलिंग कार्य किया जाना था। पश्चिमी भिंडा पर 500 फीट सोलिंग कार्य का पॉच प्रतिशत कटौती के साथ भुगतान किया जा चुका हैं। शेष 960 फीट किया जाना है। श्री सिन्हा ने दक्षिणी भिंडा पर 500 फीट लम्बाई में न्यून विशिष्टि का सोलिंग कार्य संवेदक द्वारा किये जाने की स्वीकृति अपने बचाव बयान में दिया है जिसकी प्रविष्टि श्री सिन्हा द्वारा नहीं की गयी। संवेदक द्वारा न्यून विशिष्टि का सोलिंग कार्य कराये जाने के दौरान श्री सिन्हा द्वारा कोई कार्रवाई करने का उल्लेख/साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे विदित होता है कि श्री सिन्हा की जानकारी में संवेदक द्वारा न्यून विशिष्टि का कार्य कराया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से पश्चिमी भिंडा पर न्यून विशिष्टि के सोलिंग कार्य की मापी जॉच कर प्रमंडल में भुगतान हेतु उपस्थापित करने एवं दक्षिणी भिंडा पर न्यून विशिष्टि के सोलिंग कार्य कराने के लिए श्री सिन्हा जवाबदेह प्रतीत होते हैं तथा आरोप संख्या–2 इनके विरूद्ध प्रमाणित होता है।

(iii) F_2 एकरारनामा करने के लिए कार्यपालक अभियंता सक्षम प्राधिकार होते हैं। फलतः एकरारनामा के शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी कार्यपालक अभियंता का ही दायित्व होता है। अतः आरोप का प्रथम अंश जो समय सीमा के अन्दर कार्य पूरा नहीं करने के लिए संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करने से संबंधित है, के मामले में श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है परन्तु आरोप का द्वितीय अंश जो संवेदक द्वारा कार्य अबतक नहीं किये जाने एवं कार्य

मानक तथा प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाये जाने से संबंधित है, के मामले में पाया गया कि दिनांक 29.03.2008 को तृतीय एवं चालू विपत्र द्वारा एकरारित राशि रूपये 20,56,843/– (बीस लाख छप्पन हजार आठ सौ तैंतालीस रूपये) के विरूद्ध रूपये 14,52,712/– (चौदह लाख बावन हजार सात सौ बारह रूपये) का भुगतान किया गया है। अर्थात करीब तीस प्रतिशत कार्य दिनांक 29.03.2008 को बाकी था। जॉच तिथि तक भुगतान की स्थिति यथावत थी। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य पूरा कराने का प्रयास नहीं किया गया अथवा संवेदक द्वारा शेष कार्य नहीं किया गया। साथ ही जॉच प्रतिवेदन में मिट्टी कार्य समुचित रूप से नहीं किया हुआ एवं सौन्दर्यीकरण के उद्धेश्य के दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं पाये जाने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त श्री सिन्हा द्वारा इस संदर्भ में कोई तथ्य/साक्ष्य नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोप संख्या–3 के द्वितीय अंश के मामले में श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में आरोप संख्या–2 एवं 3 के द्वितीय अंश के मामले श्री सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल संख्या–5, रामगढ़, जिला– लखीसराय का स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर इनके विरूद्ध ''दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राज कुमार प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल संख्या–5, रामगढ़, जिला–लखीसराय को '' दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' का दण्ड दिया जाता है एवं उक्त दण्ड श्री सिन्हा को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 644-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in